शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **192/2022** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रोशनदीन पुत्र मखणखान 2. जामीन पुत्र कुर्बानखान जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2 अमरदीन पुत्र बुरानखान 3 आबास अली पुत्र बुरानखान जाति मुसलमान, निवासी जुनेजों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3 :— श्री देवीलाल कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 11.12.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा जुनेजों की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 829/710 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत ख़सरा नम्बर 828/710 रकबा 4.8562 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 710 से विभाजित हुए है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा पूर्व खातेदार से क्रय कर मौके पर काबिज हुए है। उक्त क्रय दस्तावेजों के आधार पर नामांतरकरण पारित कर पक्षकारान् के खाते पृथक दर्ज किये गये तथा तरमीम भी पृथक अंकित की गई। उक्त तरमीम का लट्ठा नक्शा में अंकन करते समय लिपिकीय त्रूटि से उत्तर से दक्षिण के बजाय पूर्व से पश्चिम दिशा में तरमीम अंकित कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए बैचान दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम एवं वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान तरमीम में विवादित आराजी के खसरा नम्बर 828/710 के खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त खसरा नम्बर 829/710 में आ रहा है, जहां उनका नलकुप व कृषि कनेक्शन है। वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान लट्ठा नक्शा में तरमीम सही नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करते हुए तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत सहमति प्रदान की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर बैचान दस्तावेजात के आधार पर खोले गये नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम तथा वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। वर्तमान तरमीम में विवादित आराजी के खसरा नम्बर 828/710 के खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त खसरा नम्बर 829/710 में आ रहा है, जहां उनका नलकुप व कृषि कनेक्शन है। वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान लट्ठा नक्शा में तरमीम सही नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रदान की गई है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जुनेजों की बस्ती, तहसील शिव में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 829/710 रकबा 4.8562 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 828/710 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner